भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3080
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

लघु-स्तरीय विनिर्माता

3080. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की तेलंगाना के लघु-स्तरीय विनिर्माताओं को राजसहायता प्राप्त मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना है;
(ख) हस्तशिल्प क्षेत्र में तेलंगाना के एमएसएमई के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) तेलंगाना के एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण की सुविधा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): भारत सरकार की सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए लोक प्रापण नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से 4% की अधिदेशित खरीद को पूरा करने और एससी/एसटी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अक्टूबर-2016 से "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब स्कीम" को क्रियान्वित कर रहा है। यह स्कीम तेलंगाना सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब स्कीम के 'विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम' घटक के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले एमएसई को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए 25% पूंजी सब्सिडी (जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है) प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, अवकाश प्राप्त सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजना की अधिकतम लागत सीमा विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीम क्रियान्वित करता है जिनमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम, एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प), अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम, खरीद और विपणन सहायता स्कीम, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं।

(ख): हस्तशिल्प क्षेत्र में तेलंगाना के एमएसएमई सहित देश में एमएसएमई के निर्यात का संवर्धन करने के लिए, ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम'' के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है जिससे उन्हें वैश्विक बाजार पारितंत्र से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम में पहली बार निर्यात करने वालों के लिए क्षमता निर्माण घटक भी शामिल है जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सदस्यता के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ पंजीकरण, निर्यात बीमा प्रीमियम और उत्पादों और सेवाओं के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए शुल्क की सुविधा प्रदान करता है। इस मंत्रालय की अन्य स्कीम/कार्यक्रम, जैसे-एमएसएमई-सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और एमएसएमई-इनोंवेटिव स्कीम (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार) एमएसएमई को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने हेतु समग्र सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हस्तशिल्प और कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के विपणन एवं सेवा सहायता घटक के अंतर्गत भारत और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अंतर्गत, पात्र संगठनों को अंतरराष्ट्रीय मेलों, विषयगत प्रदर्शनियों, भारतीय शिल्प उत्सवों, एकल प्रदर्शनियों और विदेशों में जागरूकता अभियानों के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पुरस्कार प्राप्त कारीगरों और हस्तशिल्प निर्यातकों को इन अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है।

(ग): एमएसएमई मंत्रालय ने ऑनलाइन विपणन और ई-कॉमर्स एकीकरण के लिए एमएसएमई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु कई पहलें की हैं। इनमें शामिल हैं- "एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन" (एमएसएमई टीम) पहल, जो एमएसएमई को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने और उनकी ई-कॉमर्स यात्रा में सहायता प्रदान करने केंद्रित है; खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम, जो ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा एमएसएमई के लिए विकसित- एमएसएमई ग्लोबल मार्ट बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो वैश्विक व्यापार अवसर, निविदाओं और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करता है; एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बी2सी बिक्री के लिए विकसित और प्रबंधित ekhadiindia.com ई-कॉमर्स पोर्टल, जो खादी और ग्रामोद्योग के लिए वैश्विक पहुँच और संवादात्मक सुविधाएँ प्रदान करता है।

तेलंगाना सहित विभिन्न स्थानों पर "एमएसएमई टीम" पहल के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता और ई-कॉमर्स प्रचालन पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग प्लेस भी डिजिटल साक्षरता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है और एमएसएमई का पथ-प्रदर्शन करता है।

******